International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

भारत में वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा का अध्ययन

लेखक : डॉ. अंजू बाला[1], राजकिशोर धामानी[2]

1. सह आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, गौरीदेवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर (राज.)
2. शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, राजऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (राज.)

सार

वस्तु तथा सेवा कर राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु व सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक करारोपण है, 1950 के बाद भारतवर्ष का सबसे बड़ा कराधान सुधारों में वस्तु तथा सेवा कर महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो राज्य अर्थव्यवस्था प्रणाली को एकीकृत करने और सबके साथ समग्र विकास को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेगा, वर्तमान में उपभोक्ता, कम्पनीयां व व्यवसाय लगभग 18 तरह के आरोपित अप्रत्यक्ष कर भार का भुगतान करते है परन्तु जीएसटी के लागू हो जाने के बाद इन सभी करों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिससे समपूर्ण देश में एक ही अप्रत्यक्ष कर जीएसटी ''एक राष्ट्र एक कर'' के कथन को पूर्ण करेगा, पहले वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से उपभेग तक के भिन्न–भिन्न चरण में भिन्न–भिन्न कर आरोपित होते थे परन्तु जीएसटी पर करारोपण उत्पाद के आपूर्ति पर कराधीन व्यक्ति द्वारा देय होगा, इस व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार से भारत में कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार व विकास होंगे जिससे वस्तु तथा सेवाओं के एकीकृत कराधान प्रणाली के फलस्वरुप एक विश्वस्तरीय कराधान प्रणाली प्राप्त होगी। इस शोधपत्र के अतंर्गत वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा एवं भारत में जीएसटी के लागू होने से वस्तु तथा सेवाओं पर लगने वाली कर दरों तथा पूर्व की कर दरों का विश्लेशण करना तथा परिवर्तन को समझना है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

प्रस्तावना

भारत में अप्रत्यक्ष कराधान के पहले चरण में सुधार तब शुरु हुए जब 1986 में चयनित मदों के लिए केन्द्रीय स्तर पर संशोधित मूल्यवर्धित कर वैट शुरु किया गया था वैट की जोरदार सफलता और इसमें आगे और सुधार करने की जरुरत को समझते हुए भारत सरकार ने 2007 में यह इंगित किया था कि 1 अप्रैल 2010 तक देश में एक लक्ष्य आधारित वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.) शुरु करने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के परामर्श से उसकी रुप रेखा तैयार की जायेगी। अधिकार प्राप्त समिति ने इस पर विचार विमर्श किया और फिर अप्रैल 2008 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर का मॉडल तैयार किया और यह सपना पूरा हुआ जब राज्य सभा में 203 मतों के साथ 3 अगस्त 2016 को वस्तु एवं सेवा कर बिल पास हुआ और वर्तमान भारत सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2017 से 16 सितम्बर 2017 के बीच प्रभावी होना संवैधानिक अनिवार्यता है।

देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु देश के प्रत्येक नागरिक का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से योगदान रहता हैं भारत में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले नागरिकों को अपनी आय का कुछ हिस्सा सेवा के बदले देना होता है जिसे कर (Tax) कहा जाता है कर दो प्रकार का होता है– 1 प्रत्यक्षकर 2 अप्रत्यक्ष कर।

वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के सामाजिक– आर्थिक एवं शिक्षा स्तर में सुधार करेगा **जिस प्रकार सूर्य की किरणें गर्मियों में पृथ्वी से पानी का कुछ हिस्सा सुखा देती है और बरसात में फिर उसे वापस दे देती है** ठीक उसी प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अलग–अलग सेवाओं के बदले में अलग–अलग कर लगाये जाते है जैसे– केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर आदि। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी कुछ कर लगाये जाते। जैसे– बिक्री कर, मनोरंजन कर, चुंगी कर, प्रवेश कर आदि। भारत में जितने भी अप्रत्यक्ष कर लगाये जाते है उनका भार अंतिम उपभोगताओं पर पड़ता है अन्तिम उपभोक्ता तो अपना कर को अदा कर देता है लेकिन वह कर सरकार तक पूर्णतयाः नहीं

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

पहुंच पाता जिससे कर चोरी होती है हमारे देश में कर का 75 प्रतिशत भाग भी सरकार के पास नहीं पहुंच पाता इसका कारण कहीं न कहीं ये अलग–अलग प्रकार के लगने वाले कर है जो कर अपवंचन को बढ़ावा देते है और साथ ही वस्तु की कीमत पर भी असर डालते है इन सभी के समस्याओ के समाधान हेतु देश में एक कर की माँग ज्यादा हो गई है

एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 150 देश अब तब वस्तु एवं सेवा कर को अपना चुके है वस्तु एवं सेवा कर को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है जिसने 1954 में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया जो काफी सफल भी हुआ (समसामयिकी महासागर, अक्टूबर 2016 पृष्ठ संख्या 90) इसी के तहत भारत की संसद ने 'एक राष्ट्र एक कर' वस्तु एवं सेवा कर को 3 अगस्त 2016 को मंजूरी प्रदान की जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा व्यापार बनाने एवं केन्द्र एवं राज्यों के बीच व्यवहार के लिए कर प्रणाली की एकल व्यवस्था को पूरा करेगा इस कर व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद केन्द्रीय स्तर के कर जैसे– उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, सेवा कर और राज्य स्तर के कर जैसे– बिक्री कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, इत्यादि समाप्त हो जायेंगे और 1 जुलाई 2017 जब यह लागू किया गया तो निम्न कर की दरें तय की गई है– दैनिक खाद्य वस्तुओ पर 5 प्रतिशत मानक दर 12 प्रतिशत और जो इन 5 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के दायरे में नहीं आती है उन पर 18 प्रतिशत और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं एवं ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगेगा भारत में कर सुधार हेतु वस्तु एवं सेवा करको लागू करने की व्यवस्था की जा रही है वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद भ्रष्टाचार में कमी आयेगी पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर व्यापार को आसान बनायेगा और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा एवं कर तटस्थ बनाने के साथ–साथ यह विनिर्माण लागात को कम करेगा जिससे उपभोक्ता को वस्तु कम कीमत पर उपलब्ध होगी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति में सुधार होगा।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

वस्तु एवं सेवा कर विधेयक देश का 122वॉ संविधान संशोधन है इसके तहत संविधान में नया अनुच्छेद 246(a) भाग(xi) जोड़ा गया है जो इसको संघ एवं राज्य एवं विधायिका को वस्तु एवं सेवा कर पर कानून बनाने की शक्ति देता है वस्तु एवं सेवा कर लागू हो जाने से लगभग डेढ़ दर्जन केन्द्र एवं राज्य के कर समाप्त हो जायेगें केन्द्र को वस्तु एवं सेवा कर से जो राशि प्राप्त होगी उसका वितरण केन्द्र एवं राज्य दोनों के बीच होगा इस विधेयक के तहत नया अनुच्छेद 279(a) जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद् के गठन का प्रावधान किया गया है

साहित्य सर्वेक्षण

डॉ0 आर0 वसंतगोपाल 2011, ''भारत में जी एस टीः अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक बड़ी छलांग'' में निष्कर्ष के रुप में यह बताया कि भारत में वर्तमान जटिल कर प्रणाली से निर्बाध (निजात) जी एस टी पर स्विचिंग भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। जी एस टी की सफलता दुनिया में 150 से अधिक देशों और एसिया में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के एक नई राह एवं नई दिशा की ओर ले जायेगी।

नितिन कुमार 2014, ने अपने शोध अध्ययन ''वस्तु एवं सेवा कर आगे की ओर उन्मुख'' मे निष्कर्ष के रुप में यह बताया कि भारत में जी एस टी के कार्यान्वयन को वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली द्वारा आर्थिक विरुपण हटाने में मदद मिली है और अपेक्षकृत अप्रत्यक्ष कर ढ़ॉचे को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

पिंकी, सुप्रिया, काम्मा और रिचा वर्मा 2014, ''भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए वस्तु और सेवा कर –रामबाण'' में निष्कर्ष निकाला कि भारत में नई एनडीए सरकार जी एस टी के कार्यान्वयन के प्रति सकारात्मक है और यह केंद्र सरकार के लिए फायदेमंद है और इसे आई0 टी0 का बुनियादी ढॉचा का मजबूत कहोगा।

जयप्रकाश 2014, अपने शोध अध्ययन ने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय और राज्य स्तर पर जी एस टी से कर, व्यापार, कृषि और उपभोक्ताओं को इनपुट टैक्स सेट–ऑफ और सर्विस टैक्स की अधिक व्यापक कवरेज के जरिये ज्यादा राहत मिल जायेगी। जी एस टी में कई करों को कम करना और सी एस टी से बाहर निकलने का काम करना। उद्योग

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

और व्यापार के उत्तर भी वास्तव में उत्साहजनक रहे है। इस प्रकार जीएसटी हमें अपने कर आहार को विस्तृत करने का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करता है और हमें इस अवसर को शुरु करने के लिए याद नहीं करना चाहिए जब परिस्थितियां काफी अनुकूल है और अर्थव्यवस्थ केवल हल्की मुद्रास्फीति के साथ स्थिर वृद्धि का आनद ले रही है।

निशिया गुप्ता 2014, ने अपने शोध अध्ययन में उल्लेख किया कि भारतीय ढांचे में जी एस टी का कार्यान्वयन होगा। वैट सिस्टम अप्रभावित वाणिज्यिक लाभों की ओर ले जाता है और अनिवार्य रूप से आर्थिक विकास में मदद करेगा जी एस टी उपभोग, व्यापार, कृषि और इसके लिए सामूहिक लाभ की संभावना में वृद्धि कर सकता है।

शोध समस्या

वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा दुनिया भर में अप्रत्यक्ष से सम्बन्धित कर सुधार है। प्रस्तुत शोध पत्र वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा को समझने और भारत में वस्तु तथा सेवाओं पर इसके प्रतिशत में परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन पर प्रकाश डालता है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा एवं भारत मे जी एस टी के लागू होने से वस्तु तथा सेवाओ पर लगने वाली कर दरों तथा इससे पूर्व की कर दरों का विश्लेषण करना तथा परिवर्तन को समझना।

शोध क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन विभिन्न पुस्तकों, राष्ट्र और अतंराष्ट्रीय पत्रिकाओं, सरकारी प्रतिवेदनों तथा विभिन्न वेबसाइटों के प्रकाशनों से प्राप्त द्वितीयक समंको के व्यापक अध्ययन पर केन्द्रीत है, जो वस्तु एवं सेवा कर के विभिन्न पहलुओं पर केद्रित है।

जी एस टी की अवधारण

जी एस टी राष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़ा कर सुधार, वस्तु और सेवा कर का 30 जून 2017 मध्यरात्रि का संसद के सेंट्रल हॉल मे आयोजित समारोह में शुभारंभ किया गया। जी एस टी आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं की कीमतों को कम करने हेतु एकल

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

कर है। वर्तमान में, कम्पनियां और व्यवसाय बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवाकर, बिक्री कर, मनरोजंनकर लक्जरी कर का भुगतान करते है जी एस टी लागू होने से इन सभी का अस्तित्व समाप्त हो गया है केवल एक ही कर है जिसकी निगरानी केन्द्र सरकार कर रही है और जो खपत के अंतिम बिन्दु पर होगा न कि उत्पादन स्त्र पर। माल और कराधान के एकीकरण से भारत को एक विश्वस्तरीय कर प्रणाली प्रदान की है जो अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है वस्तु एवं सेवा कर के क्षरा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर उपचार के विकृतिया की समप्ति तथा राजकोषीय स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।

भारत के कार्य स्वरुप

यह केन्द्र और राज्य के साथ एक सामान्य कर आधार पर आरोपित एक दोहरा जी एस टी है। वस्तुआं और सेवाओं की राज्य के अंदर आपूर्ति पर केन्द्र द्वारा लगाये गये कर को केंद्रीय जीएसटी कहा जायेग तथा राज्यों द्वारा लगाये करों को राज्य जी एस टी कहा जाता है। इसी प्रकार केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर–राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत जी एसअी लगाने तथा प्रशासित करने की व्यवस्था है। देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से 50,000 हजार रुपये तक के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने पर ईबिल का प्रावधान किया गया है ताकि कर चोरी पर नजर रखी जा सकें। केंद्र के अधिकार में वस्तुओं के विनिर्माण (सिवारा मानव उपभोग के लिये शराब, अफीम नशीले पदार्थों आदि को छोड़कर) पर कर लगाने की शक्तियां है, जबकि राज्यों के अधिकार में वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई है।। अंतर–राज्य बिक्री के मामले में केंद्र सरकार को वस्तुओं की बिक्री पर कर (केंद्रीय बिक्री कर) लगाने की शक्ति है लेकिन कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है। जहां तक सेवाओं का प्रश्न है, केवल केद्र को सेवा कर लगाने के लिये सशक्त किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 246ए केंद्र और राज्यों का कर लगाने और जी एस टी एकत्र करने के लिए सशक्त करती है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

तालिका सं. 1 : भारत एवं अन्य देशों की जी.एस.टी. रेट का तुलनात्मक अध्ययन

देश	जी.एस.टी. नामक दर	छूट उपलब्ध	घटी हुई दरें	टैक्स रिटर्न फाइलिंग
इंडिया	5,12,18,28	हाँ	हाँ	3 बार मासिक और एक बार सलाना। प्रत्येक राज्य के लिए अलग रिटर्न आवश्यक है जिसमें एक कम्पनी संचालित होती है।
आस्ट्रेलिया	10	हाँ	नहीं	त्रैमासिक; बड़े व्यवसायों के लिए मासिक
मलेशिया	6	हाँ	नहीं	बड़े व्यवसायों के लिए त्रैमासिक या मासिक
न्यूजीलैंड	15	हाँ	हाँ	अर्द्धवार्षिक, हर दो महीने या मासिक, व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है
सिंगापुर	7	हाँ	नहीं	आमतौर पर हर तीन महीने

स्त्रोत : शोधार्थी द्वारा निर्मित

जीएसटी के लागू होने से उपरोक्त वर्णित वस्तुओं एवं सेवाओं में कमी आई है इसके साथ ही 153 आम जरूरतों की वस्तुओं को ई–बिल लेने की आवश्यकता से मुक्त किया गया है साथ ही साथ भारत में आयात और बेचने वाले मोबइल फोन के लिए कर दर जो 17 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक थी वह अब 12 प्रतिशत हो गई है अतः मोबाइल फोन पर जीएसटी लगने से इनकी कीमतों में कमी आई है और साथ ही LPG, केरोसिन, आभूषण तथा मुद्रा को उन वस्तुओं में शामिल किया गया है जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत परिवहन में ई परमिट लेने से छूट दी गई है। इसके साथ ही जीएसटी का कुछ क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा जो निम्न है– बीमा एवं बैंकिग सेवायें, होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं तथा पान मसाला, ब्राण्डेड गुटखा सिगरेट जैसी वस्तुओं तथा सेवाओं पर जीएसटी लगने से कर दरो में वृद्धि हुई है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

निष्कर्ष

जी एस टी बिल से देश के जटिल कराधान प्रणाली के लिए एक वरदान साबित हुआ है। यह देश की जीडीपी अनुपात को सक्रिय रुप से सुधारने का प्रयास करेगा तथा मुद्रास्फीति को भी बाधित करेगा। जी एस टी ने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों जैसे FMCG, Auto, तथा सीमेंट आदि के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिकूल रुप से प्रभावित किया है क्योकि पहले विनिर्माण क्षेत्र पर कर का 24 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक भार पड़ता था। जो जीएसटी के लागू होने से अब कम है। वही बीमा क्षेत्र पर जीएसटी का अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्वास्थय बीमा योजना के तहत प्रीमियम तथा बैंकिग सेवाओं पर कर की दर पहले जो 15 प्रतिशत थी जो अब बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है। अंन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा एवं कर तटस्थ बनाने के साथ–साथ यह विनिर्माण लागात को कम करेगा जिससे उपभोक्ता को वस्तु कम कीमत पर उपलब्ध होगी जिससे अंन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति में सुधार होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी के लागू होने से कर चोरी व भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी और भविष्य में भारत की जीडीपी अनुपात में भी वृद्धि होने की सम्भावना हैं।

संदर्भ

1. समसामायिकी महासागर, अक्टूबर 2016, प्रकाशित : शीर्षक, वस्तु एवं सेवा कर विधेयक संसद में पारित, पृष्ठ संख्या 90।
2. घटना चक्र, वार्षिकांक नवम्बर 2016, के शीर्षक, वस्तु एवं सेवा कर विधेय पारित, पृष्ठ संख्या 47।
3. दैनिक जागरण, समाचार पत्र (26 अक्टूबर 2016) शीर्षक, वस्तु एवं सेवा कर सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लगेगा, पृष्ठ संख्या 17।

4. ***Girish Garg 2014,*** *"Basic Concepts and Features of Good and Service Tax In India"* International Journal of scientific research and management (IJSRM) Volume 2,Issue 2, Pages 542-549.
5. **Lourdunathan F and Xavier P,** *"A study on implementation of goods and services tax(GST) in India: Prospectus and challenges"* International Journal of Applied Research 2017; 3(1): 626-629.
6. **Pinki, Supriya Kamna, Richa Verma(2014),** *"Good and Service Tax – Panacea For Indirect Tax System In India", "Tactful Management Research Journal",Vol2, Issue 10, July2014* .
7. Empowered Committee of Finance Ministers First Discussion Paper on Goods and Services Tax in India, The Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, 2009.
8. http://www.ficci.com/spdocument/20238/Towards-the-GST-Approach-Paper-Apri-2013.pdf